



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1059**

मद/For Item : पॉलिसिल-4 रबड़ गेस्कट(पार्ट सं.088070615000)/  
**Polysil-4 Rubber Gasket (PT No. 088070615000)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि पॉलिसिल-4 (व.अ.सं.839) से विकसित तथा मेसर्स पॉलिमर एंटरप्राइजेस, ई-41, एम.आई.डी.सी सतपुर, नासिक-422 007 द्वारा उत्पादित "रबड़ गेस्कट पार्ट सं.088070615000 मरम्मत के समय आरडी33 इंजन के पाइप कनेक्टर में उपयोग के लिए, उत्पादन करने के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(कोरापुट), सूनाबेदा के समन्वय से नियंत्रक विनिर्देश/टेस्ट शेड्यूल सं.टीएस/506-2002 दिनांक 28-12-2001 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

*This is to certify that the "Rubber Gasket Pt No. 088070615000" developed from POLYSL-4" (TA No.839) and manufactured by M/s Polymer Enterprises, E-41, MIDC, Satpur Nashik-422 007, is hereby approved for production for use in pipe connector of RD-33 engine during overhaul. It has been tested to test schedule No. TS/506-2001 Dated 28-12-2001, in co-ordination with RCMA(Koraput), Sunabeda-763002. It has met the requirements of specification/tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix-'A'.*

Flag  
'A', 'B'  
& 'C'



2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीस नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

*The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसम्बर 2008 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कोरापुट) से अनुरोध करना होगा ।

*This Type Approval is valid upto 31<sup>st</sup> Dec 2008 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA(Koraput) for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1059 (कंचन बिस्वास/KANCHAN BISWAS)  
दिनांक/Date : 15 Apr 2004 स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
फेक्स सं/Fax No: 080-5230856 Offg Chief Executive (Airworthiness)

Khwis

15/4/04